न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 24/2010

श्री जगदीश प्रसाद सुपुत्र श्री धूंकल जाति जांगिड निवासी रहमानखेडा हाल निवासी गीता भवन के सामने नेहरू गेट बाहर ब्यावर तहसील ब्यावर जिला–अजमेर।

.....**अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर। ..... **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री निर्मलकुमार नौरतमल जैन — अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी — राजकीय अभिभाषक

आदेश **दिनांक :– 31.01.2018**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2066 में श्री जगदीश प्रसाद सुपुत्र श्री धूंकल जाति जांगिड निवासी रहमान खेडा हाल निवासी गीता भवन के सामने नेहरू गेट बाहर तहसील ब्यावर जिला–अजमेर द्वारा ग्राम रहमानखेडा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर स्थित आराजी खसरा सं0 353 में से रकबा 0–15–00 बीघा किस्म पाल पर अनाधिकृत रूप से गुजी काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आश्य की पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ब्यावर द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 49/2009 पंजीबद्ध कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 12.03.2010 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली एवं शास्ति कायम करने के साथ ही काश्त को जब्त सरकार करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 12.03.2010 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील मयाद बाहर होने से मयाद बिन्दु पर ही खारिज योग्य बताई। जवाब में अपीलार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 12.03.2010 की जानकारी, अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में नियुक्त अधिवक्ता द्वारा भी नहीं दी गई। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.4.2010 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किये जाने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। तत्पश्चात आदेश की नकल प्राप्त की गई। चूंकि अपीलार्थी की आयु 65 वर्ष है उनके दिनांक 13.4.2010 से 5.5.2010 तक अस्वस्थ होने कारण न्यायालय में अपील जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई। जानकारी के अभाव एवं अस्वस्थता के कारण हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन कर अपील, गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमाई जावे। हमने इन कथनों पर मनन किया रेकार्ड देखा। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का स्वीकार करते हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया।

जिला कलक्टर
अजमेर

हमने उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि से लगती हुई है जिस पर भारी रकम लागाकर सुधार/विकास कार्य द्वारा समतल करवाकर सिंचाई हेतु बोरिंग खुदवा गया है। अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर करीब 30 वर्षो से निरन्तर काश्त की जा रही है जो राजस्व रेकार्ड खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2047, 2057, 2060, 2061 से साबित है जिसमें अपीलान्ट द्वारा कमशः मूंग, बण, मक्का, की काश्त की गई है।राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश कमांक प–6(7)राज0/4/77/15 दिनांक 16.10.2001 के अनुसार 15.7.1994 तक के कब्जे को नियमन किया जा सकता है। उन्हौने बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि विवादित भूमि पूर्व में खातेदारी भूमि थी, जिसे भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से सिवाय चक तथा किस्म पाल दर्ज कर दी गई। राजस्व मानचित्र एवं मौके की स्थिति के अनुसार विवादित भूमि की किस्म पाल नहीं हैं। उन्हौने आगे कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिचार नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान दर्ज किये बिना, अपीलार्थी के पुराने कब्जे संबधी जांच एवं साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2010 निरस्त किया जावें तथा अपीलाधीन भूमि अपीलार्थी के पक्ष में नियमन/आवंटन किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमाया जावे।

उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत् कब्जा अतिक्रमण होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिकमी को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है तथा अतिकमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिकमण किये जाने पर तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं होने से अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2010 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.01.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

31/01/18

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर